II/निग0/रीवा/2017/4411 (304) (412)

न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर.सर्किट कोर्ट रीवा, म0प्र0.

पुनरीक्षण क्र0/ /017

रिकार्ड उपलब्ध नहीं है उपलब्ध होने पर ग्राह्यता हेतु

विष्णु प्रताप तिवारी तनय राजेश्वरप्रसाद तिवारी निवासी ग्राम बरा कोठार तह0 हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0.

---- आवेदक

अधि0 श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा पेश। 13-11-17

बनाम्

01- सुरेश प्रसाद त्रिपाठी तनय उपेन्द्र दत्त त्रिपाठी निवासी ग्रामबरा कोठार तह0 हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0.

रीडर आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

02- म0प्र0राज्य

----अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 राजस्व ,निरीक्षक विरूद्व आदेश/सर्किल वनकुंइया जिलारीवा दिनांक 24.07.014 जो प्र0क्र0 132/अ-12/ 13-14 मे पारित ।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुतहै :-

॥01॥ नायब तहसीलदार सर्किल वनकुंइया तह0 हुजूर के समक्ष अना0क्र0 1 ने सीमांकन बाबत् आवेदन लगायाथा जो तकिराजस्व निरीक्षक को अग्रेषितकिया गया तदनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही तथाभूमि नं0 325 स्थित ग्राम बरा कोठार के संबंधमे अना0क्र0 1 द्वारा प्रस्तुत सीमाकन आवेदन के संदर्भ मे प्रतिवेदन पंचनामा पटवारी से बनवाकर पुष्टिकरण का आदेश राजस्व निरीक्षक ने दिया जो आदेश अवैधानिक तथा विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है ।

॥02॥ भूमि नं0 325 अना0क्र0 1 के स्वामित्व की है तथा उक्त भूमि के उत्तर आवेदक की भूमि नं0324 तथापश्चिम तरफ 326 तथा 343 स्थित है ।

(304)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 4411 जिला–रीवा

विष्णु प्रताप तिवारी / सुरेश प्रसाद त्रिपाठी

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शिव प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, सर्किल बनकुइया, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 132 / अ–12 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	